



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2016/कार्तिक 12, 1938

No. 772]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2016/KARTIKA 12, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 1040(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम (संशोधन), 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल इंजिनियरी अधिकारी भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में, निरीक्षक (वास्तुकार) के पद से संबंधित क्रम संख्या 13 के तहत स्तंभ (7) जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित वैश्विक और अन्य अर्हताओं से संबंधित है, की मद (ग) और (घ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों की एवज में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ग) चिकित्सा मानक :

(i) दृष्टि :

सहायता रहित दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणियां
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहां तक की चर्चों के द्वारा भी, अनुज्ञा नहीं होगी।	— दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आंख उसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाईं आंख बेहतर होनी चाहिए। — द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

- (ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, रफ़ीत बिरा या आंखों में गेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इषहारा के द्वारा सी.पी.—III होनी चाहिए । अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पडने की संभावना हो ।
- (घ) शारीरिक क्षमता परीक्षा और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए”:

[फा. सं.-17/97/2015-कार्गिक/सीसुबल]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव (कार्गिक)

टिप्पण :- मूल नियम, तारीख 11 मई, 2012, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 358(अ) तारीख 11 मई, 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2016

G.S.R. 1040(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Engineering Officers) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Engineering Officers) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force (Engineering Officers) Recruitment Rules, 2012,—
 - (a) against serial number 13, relating to the post of Inspector (Architect), in the entries under column (7) relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for serial numbers (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“(c) Medical Standards:

(i) Eye Sight :

Visual Acuity unaided (NEAR VISION)		Uncorrected Visual acuity (Distant Vision)		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by the glasses	In right handed person, the Right eye is better eye and vice versa Binocular vision is required.

- (ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes, must possess **CP III BY ISIHARA** vision and must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.
- (d) Should qualify the physical efficiency test and written test”.

[F. No. 17/97/2015-Pers/BSF]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th May, 2012 vide notification number G.S.R. 358(E), dated the 11th May, 2012.